

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग धमतरी (छत्तीसगढ़)

सिहावा चौक, नगरी रोड, वन परिसर, धमतरी

☎ : 07722-238371(O), 236137 (Fax), E-mail : dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./22/जी/ 1310
प्रति.

धमतरी, दिनांक: 13/04/2026

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग
(आकाशवाणी के पीछे सिरपुर भवन)
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Construction of high level bridge across Kajal River on Jawarra Road, area- 1.701 ha.- Regarding

- संदर्भ :-** 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्र./FC-I/IROCH -05/2021/1205 दिनांक 20.01.2023
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./22/जी/1889 दिनांक 27.03.2023, पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./22/जी/2165 दिनांक 13.04.2023, पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./22/जी/3057 दिनांक 29.05.2023, पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./22/जी/4081 दिनांक 18.07.2023, पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./22/जी/5710 दिनांक 11.10.2023, पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./22/जी/872 दिनांक 14.02.2024, पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./22/जी/2237 दिनांक 12.04.2024, पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./22/जी/2886 दिनांक 28.05.2024 एवं पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./22/जी/3055 दिनांक 19.06.2025
3. अप्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./व. (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-25/ 577 दिनांक 07.04.2026

⊗ ⊗ ⊗

विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत नगरी-जबर्गा मार्ग पर काजल नदी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण रकबा 1.701 हे. वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से बारंबार आपको क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर की राशि कैम्पा खाता में जमा करते हुए प्रकरण में प्राप्त अंतिम चरण स्वीकृति का पूर्ण पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। किन्तु आपके द्वारा प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./व. (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. द्वारा संदर्भित पत्र 3 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी 5 हेक्ट. से कम क्षेत्रफल के क्षतिपूर्ति रोपण हेतु 20 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दर राशि रूपये 21,45,975/- निर्धारित किया गया है, जिसके अनुक्रम में अंतिम चरण स्वीकृति के अधिरोपित शर्त क्रमांक (iv) के पूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जमा की जाने वाली अंतर की राशि की गणना निम्नानुसार है:-

क्र	शर्त क्र. एवं विवरण	कुल जमा की जाने वाली राशि	पूर्व में जमा की गई राशि	वर्तमान में जमा की जाने वाली अंतर की राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	शर्त क्रमांक (iv) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	1.710 X 21,45,975/- = रु 36,69,617/- (वर्ष 2026-27 के अनुसार 21,45,975/- रु. प्रति हे. की दर से)	1.710 X 8,78,787 = रु. 15,02,726/- (वर्ष 2022-23 के अनुसार रु. 8,78,787/- प्रति हे. की दर से)	राशि रु. 21,66,891/-

अतः आप उक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर की राशि रु. 21,66,891/- (इक्कीस लाख छैसठ हजार आठ सौ इन्कान्चे रूपये मात्र) कैम्पा मद में 'ई-चालान' के माध्यम से जमा कर चालान की पावती के साथ अंतिम चरण स्वीकृति का पूर्ण पालन प्रतिवेदन अविलंब इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 2 दिनांक 14.02.2024 के माध्यम से प्रकरण में गैर-वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र के सीमांकन (आर.सी.सी. पोल द्वारा) एवं प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन (आर.सी.सी. मुनारा निर्माण) हेतु कुल आवश्यक राशि रुपये 1,40,540/- (एक लाख चालीस हजार पांच सौ चालीस रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमण्डल धमतरी के नाम से तैयार कर इस कार्यालय में जमा करें। ध्यान रहें अपूर्ण पालन प्रतिवेदन मान्य नहीं होगा। वरिष्ठ कार्यालय या शासन द्वारा उक्त राशि में भविष्य में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो आपको पृथक से मांग पत्र पुनः प्रेषित किया जावेगा।
संलग्न:- संदर्भित पत्र 3 की छायाप्रति।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल, धमतरी
धमतरी, दिनांक: 13/04/2026

पृ.क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./22/जी/ 1311

प्रतिलिपि :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ), अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग. की ओर सादर

सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला-धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण उपसंभाग धमतरी (छ.ग.) को उनके ज्ञापन क्रमांक/129/शिल्प/काजल नदी/2026 धमतरी, दिनांक 06.04.2026 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल, धमतरी

Received
PMD Bridge



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-25/577
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 07/04/2026

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक (वन्यप्राणी)
3. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
4. समस्त उप निदेशक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़

विषय: - वन (संरक्षण एवं संवर्धन), अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये वृक्षारोपण दर का निर्धारण बाबत।

- संदर्भ:-
1. छ.ग. शासन वन विभाग का पत्र क्र/1626/2002 दिनांक 19.03.2002
 2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 924 दिनांक 07.04.2025 एवं पत्र क्रमांक 1126 दिनांक 08.05.2025

× × × × ×

उपरोक्त विषयांतर्गत छ.ग. शासन वन विभाग के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.03.2002 द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन), अधिनियम 1980 के व्यपवर्तन प्रकरणों हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण की दर का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष 10% Inflation का समावेश रोपण योजना में किया जाना अनिवार्य है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के गाईडलाईन 2023 के अनुसार गैर वन भूमि (Non Forest Land) पर 5.00 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति रोपण का रखरखाव 20 वर्षों तक किये जाने के भी निर्देश है।

उपरोक्त आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में संदर्भित कार्यालयीन पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 वर्षीय रोपण हेतु (ईको रेस्टोशन की राशि सहित) रुपये 12,86,648/- प्रति हेक्टेयर एवं 05 हेक्टेयर से कम के रोपण क्षेत्रों के लिये 20 वर्षीय रखरखाव हेतु 19,50,886/- प्रति हे. न्यूनतम दर निर्धारित कर निर्देशित किया गया है कि उक्त दर में क्षतिपूर्ति रोपण स्थल के सत्यापन के आधार पर वास्तविक सीमा रेखा की लम्बाई के कारण रोपण की लागत में वृद्धि होती है तो तदनुसार बढ़ी हुई राशि भी आवेदक संस्थान से ली जानी है।

अतः राज्य शासन के निर्देशानुसार कार्यालयीन संदर्भित पत्र क्र. 02 द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दर में 10% की वृद्धि करते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निम्नानुसार दर निर्धारित की जाती है:-

क्रमांक	रोपण विवरण	वित्तीय वर्ष	न्यूनतम निर्धारित दर (प्रति हेक्टे.)	रिमार्क
1	10 वर्षीय रोपण योजना (ईको रेस्टोशन की राशि सहित) एवं रखरखाव	2026-27	14,15,313	क्षतिपूर्ति रोपण स्थल के सत्यापन के आधार पर वास्तविक सीमा रेखा की लम्बाई के कारण रोपण की लागत में वृद्धि होती है तो तदनुसार बढ़ी हुई राशि भी आवेदक संस्थान से ली जानी है।
2	05 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों में 20 वर्षीय रोपण योजना (ईको रेस्टोशन की राशि सहित) एवं रखरखाव		21,45,975	

उक्त नवीन दर 01 अप्रैल 2026 से प्रभावशील होगी।

(वन बल प्रमुख महोदय द्वारा अनुमोदित)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
एवं प्रभारी अ.प्र.मु.व.सं.
(भूमि-प्रबंधन/वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़